संशोधित

उप संभागीय परिवहन कार्यालय, हाथरस

पत्रांकः 467 /स0सु0/अधिसूचना/2020 दिनांकः 20-06-2020

अधिसूचना

AC(RS)
22/6/2020

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त प्रकरणो से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है; और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाथरस जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है –

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	चैनेज (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार अधिकतम गति सीमा (Speed Limit) निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा–सादाबाद (प्रमुख जिला मार्ग–102)	30.000 से 31.000 37.500 से 38.000 44.000 से 45.000 45.000 से 45.270	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
2	सादाबाद–जलेसर–अवागढ़ (प्रमुख जिला मार्ग–106)	0.000 से 1.000 9.000 से 10.000 15.000 से 16.000	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
3	राया–सादाबाद मार्ग	27.400 से 28.600	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
4	मुरसान–सादाबाद मार्ग	0.000 से 1.000 4.000 से 5.000 16.000 से 17.350	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होंगे :–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके, इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

(अ) अग्नि शमन वाहन।
(ब) एम्बुलेन्स।
(स) पुलिस वाहन।

3 001.jpg

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक–06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

(नीतू सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद हाथरस।

पृ0सं0– स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।

3– जिला अधिकारी, हाथरस।

4– पुलिस अधीक्षक, हाथरस।

5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि उल्लिखित मार्गों पर उपर्युक्तानुसार गति सीमा के बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।

7– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा/अलीगढ़।

8– जिला सूचना अधिकारी, हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

7– स्थानीय सम्पादक, अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने जनप्रिय समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(नीतू सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद हाथरस।